

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नवान ..... लखवीन्द सिंह ..... बनाम ..... प्रशन्त सिंह आदि .....

करण संख्या ..... ५१ / २०२३ अन्तर्गत धारा ..... ३१२ RTA .....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

5/6/24 प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची व प्राची अधिवक्ता को शक-२ कर ३ बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राची व प्राची अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर प्राची का प्रत्येक पत्र अन्तर्गत धारा ३१२ RTA अदम पेशवी अदम क्षमता में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीति लेकर बम्बर से कम लेकर दाखिल करती है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर